संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 4 / एस.आई.ए.एफ / 2013 / 255 भोपाल, दिनांक 12/07/13

प्रति ,

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय – म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के समुचित क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ – संचालनालय के पत्र क्र 4 / एस.आई.ए.एफ / मु.मं.बा.हृ.उ.यो / 2013 / 171 दिनांक 07.05.13

–00–

विषयान्तर्गत में लेख है कि दोनो योजनाओं के क्रियान्वयन में विभाग को निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिसमें योजना अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपचार सुविधाऐं होने के बाद भी रोगियों को उपचार हेतु शासकीय संस्थाओं में नहीं भेजना, बीमारी के निर्धारित पैकेज के मान से उपचार राशि स्वीकृत नही करना, संबंधित चिकित्सा संस्थाओं द्वारा निर्धारित उपचार पैकेज से अधिक का उपचार एस्टीमेट देना, निर्धारित राशि से अधिक राशि रोगी से वसूल करना, उपचार के दौरान औषधियॉ–सामग्रीयॉ बाहर से मंगवाना, फर्जी हितग्राहियों को उपचार राशि स्वीकृत करना, उपचार उपरान्त चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं रोगी का डिस्चार्ज टिकिट, राशि स्वीकृत की जाने वाले कार्यालय को नही भेजना, उपचार कराने नही जाने वाले रोगियो की राशि वापस नही करना, उपचार के दौरान मरीजो की अस्पताल में उचित देखभाल नही करना, उपचार के बाद रोगियों का फालोअप नही करना आदि प्रमुख है।

उपरोक्त के संबंध में दोनो योजनाऐं से संबंधित चिकित्सा संस्थाओं के संचालकों की दिनांक 16.4.13 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में बैठक आयोजित की गई थी एवं उसका कार्यवाही विवरण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के संदर्भित पत्र द्वारा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थाओं व आपकी ओर भेजा गया था। लेकिन उक्त पत्र के निर्देशों का पालन प्रभावी ढंग से अभी भी नही हो रहा है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपका यह व्यक्तिगत दायितव होगा कि संदर्भित पत्र के निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं उपरोक्त उल्लेखित शिकायतों की पुनवृति आपके जिले से स्वीकृत प्रकरणों में नही हो।

दोनों योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जावें :–

1. दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पात्र हितग्राही रोगियों के ही आवेदनों पर चिन्हित बीमारियों के निर्धारित पैकेज अनुसार ही अस्पतालों के एस्टीमेट स्वीकार किया जावें ।
2. निर्धारित पैकेज अनुसार स्वीकृत राशि में ही इलाज कराया जावे एवं यदि कोई चिकित्सा संस्था इसका पालन नही करती है, तो उनका प्रकरण तैयार कर, मान्यता निरस्त करने हेतु प्रस्ताव स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को भेजें।

3. संस्थाऐं स्वीकृत राशि में ही मरीज का इलाज करें एवं रोगी के उपचार के दौरान औषधियॉ–सामग्रीयॉ बाहर से नही मंगवायें।
4. संस्थाऐं स्वीकृत राशि का उपयोग 3 माह तक में करें। यदि मरीज उपचार हेतु उपस्थित नही होता है, तो स्वीकृत राशि 3 माह बाद वापस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल भेजें।
5. मरीजो के उपचार उपरान्त, उपयोगिता प्रमाण–पत्र व डिस्चार्ज टिकिट तत्काल भेजें व यदि शेष राशि बचती है, तो उसे भी वापस की जावे।
6. आकस्मिक प्रकरणों में चैक राशि के अभाव मे मरीज का उपचार न रोके व स्वीकृत आदेश अनुसार मरीज का इलाज करावें।
7. रोगी को डिस्चार्ज करने के उपरान्त उनका मिनीमम फॉलोअप अवश्य कराया जावें।
8. बीमारी एवं पात्र रोगी का सत्यापन करने के बाद ही प्रकरणों में चिकित्सा सहायता राशि निर्धारित उपचार पैकेज के मान से स्वीकृत की जावे।
9. मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में ए.पी.एल प्रकरणों में प्रमाण–पत्र, प्रारूप भाग–2 (ब) जिलाध्यक्ष अथवा संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर व कार्यालय सील के उपरान्त ही स्वीकृत किये जावें।
10. यदि रोगी राशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया के दौरान अस्पताल में भर्ती हो, तो भर्ती रोगी का सत्यापन कराने के बाद ही राशि स्वीकृत की जावें।
11. आपके जिले मे दोनों योजनाओं के गत तीन माह से पूर्व स्वीकृत सभी प्रकरणों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, डिस्चार्ज टिकिट, उपचार के बाद बची राशि एवं उपचार हेतु नही गये रोगियो की स्वीकृत राशि संबंधित चिकित्सा संस्थाओं से 31.08.2013 तक अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक
(राज्य बीमारी सहायता निधि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र)

पृ0क्रमॉक–4 / एस.आई.ए.एफ. / 2013 /
भोपाल, दिनॉक – –2013

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2– स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
3– संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4– समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
5– समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
6– समस्त, कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
7– समस्त, सिविल सर्जन सह. अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।

संचालक
(राज्य बीमारी सहायता निधि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र)